न्यायालयः– आशिष दवन्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन
जिला पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश

क्रमांकः– 744 /आप/2020 खरगोन, दिनांकः–03/07/2020

–//संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष–2020//–

प्रतिलिपिः–

1 माननीय रजिस्टार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।
2 माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, मण्डलेश्वर।
3 माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अजा/अजजा मण्डलेश्वर।
4 माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर।
5 माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश महोदय बड़वाह।
6 माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खरगोन, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7 माननीय जिला दंण्डाधिकारी महोदय खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8 माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन, की ओर आदेश की प्रतिलिपि अति. पुलिस अधीक्षक, समस्त अनु अधि. पुलिस जिला खरगोन एवं अजाक तथा समस्त थाना प्रभारी जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
9 अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसरावद।
10 न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, श्री.....खरगोन/भीकनगांव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर/महेश्वर/कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थप्रेषित।
11 वन मंडलाधिकारी खरगोन।
12 जिला आबकारी अधिकारी खरगोन की ओर आदेश की प्रतिलिपि समस्त आबकारी उपनिरीक्षक जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13 अतिरिक्त क्षैत्रिय परिवहन अधिकारी खरगोन।
14 श्रम पदाधिकारी खरगोन।
15 उप संचालक अभियोजन खरगोन।
16 उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग।
17 उप संचालक औद्यौगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र.शासन खंडवा।
18 जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन, भीकनगांव, सनावद, बडवाह, महेश्वर, मंडलेश्वर, कसरावद की और ज्ञापन की प्रतिलिपिया प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराने की व्यवस्था करें।
19 अध्यक्ष अभिभाषक संघ खरगोन, भीकनगांव, सनावद, बडवाह, मण्डलेश्वर, महेश्वर, कसरावद, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आशिष दवन्डे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड़

स्थान – खरगोन
दिनांक –05.07.2020

न्यायालय–आशीष दवन्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला पश्चिम निमाड

क्रमांक:– 744 /आप./20 खरगोन, दिनांक:-03/07/2020

--// आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष– 2020//--

मैं **आशीष दवन्डे** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश खरगोन माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रं 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12/3/1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुए, इस न्यायिक जिला मण्डलेश्वर (खरगोन) में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर क्षैत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ निश्चित् करता हूँ।

यह आदेश दिनांक **05/07/2020** से प्रभावशील होगा।

क्र0	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	सौंपा गया आपराधिक कार्य
1	**आशीष दवन्डे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन,** टेलीफोन नम्बर मो0नं0 8959628149	**1 आरक्षी केन्द्र खरगोन** **2 आरक्षी केन्द्र मेनगांव** **3 यातायात थाना खरगोन** **4. सम्पूर्ण जिला खरगोन से संबंधित अन्य अधिनियमों के मामलें**	1- आरक्षी केन्द्र **खरगोन, मेनगांव, यातायात** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **सिटी कोतवाली, मेनगांव, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, गोगांवा, बरूड** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के आपराधिक प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 20,00,001/– रूपये या उससे अधिक हो।)** 3. तेजाब फैककर क्षति या उपहति कारित करने विषयक आपराधिक प्रकरण । 4. अति. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 तथा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. कॉपीराईट एक्ट के प्रकरण। 7. आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधि0 2000 के प्रकरण, **संपूर्ण जिला के क्षेत्राधिकार** से उत्पन्न समस्त धारा 34(2), 49ए आबकारी अधिनियम से संबंधित मामले। 8. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, गोगांवा, बरूड, भगवानपुरा, बिस्टान, उन तथा मेनगांव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 354, 354क, ख, ग, घ, 493 से 498 ए बी सी 509 एवं महिलाओं के विरूद्ध होने वाले ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के साथ किये जा सकते है, अपराधो से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां **(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) को छोडकर)।** 9. राजस्व तहसील **खरगोन** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्वभूत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम) तथा पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार**

			10. सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। 11. केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें। 12. माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। 13. श्रम विधि/कारखाना अधिनियम से संबंधित मामलें। 14. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां। 15. दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रकरण। 16. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रकरण। 17. आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण। 18. नगर पालिका अधि. 1961 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 19. औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। 20. ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य हो।
2.	**श्रीमती आरती ढिंगरा** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड टेलीफोन नम्बर **नि–**	**आरक्षी केन्द्र बिस्टान एवं बाल न्यायालय**	1. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधि0 2000 की धारा 34 (2),49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **बिस्टान (बिस्टान के पूर्ववर्ती ग्रामों को छोडकर)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **सिटी कोतवाली खरगोन, मेनगांव, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, गोगांवा, बरूड** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 10,00,001/– रूपये या उससे अधिक एवं 20,00,000/– रूपये तक हो।)** 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्र **खरगोन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलू हिसां से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) व अन्य भरण–पोशण, वसूली योग्य प्रकरण।
3	**सुश्री प्रियंका चौहान** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड टेलीफोन नम्बर नि– का–	**आरक्षी केन्द्र भगवानपुरा**	1. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 34(2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **भगवानपुरा (भगवानपुरा के पूर्ववर्ती ग्रामों को छोडकर)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **सिटी कोतवाली खरगोन, मेनगांव** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 5,00,001/– रूपये या उससे अधिक एवं 10,00,000/– रूपये तक हो।)** **3.** आरक्षी केन्द्र **मेनगाव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम व धारा

			125, 125(3)व अन्य भरण–पोषण, वसूली योग्य प्रकरण। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
4	**श्री राजु सिह डावर** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड टेलीफोन नम्बर नि– का–	**आरक्षी केन्द्र उन**	1. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधि0 2000 की धारा 34 (2),49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **उन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **सिटी कोतवाली खरगोन, मेनगांव, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, गोगांवा, बरूड** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 1/– रूपये या उससे अधिक एवं 5,00,000/– रूपये तक हो।)** 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना। 4. तहसील **खरगोन** स्थित रिक्त न्यायालयो की निष्पादन कार्यवाहीया व स्थायी वारण्ट एवं वरिष्ट न्यायालयो से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण।
5	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड खरगोन, म. प्र., टेलीफोन नम्बर नि– का–	**आरक्षी केन्द्र बरूड एवं गोगावा**	1. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 34(2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **बरूड, गोगावा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **आरक्षी केन्द्र बिस्टान, उन, भगवानपुरा, गोगांवा, बरूड** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 5,00,001/– रूपये या उससे अधिक एवं 10,00,000/– रूपये तक हो।)** 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
6	**श्री संतोष सैनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कसरावद टेलिफोन नम्बर नि0– का0–	**आरक्षी केन्द्र कसरावद**	1. आरक्षी केन्द्र **कसरावद एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **कसरावद एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **कसरावद एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. राजस्व तहसील **कसरावद** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ

			से उद्वभूत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 5. आरक्षी केन्द्र **कसरावद एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना। 7. तहसील **कसरावद** के रिक्त न्यायालयों की निष्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण।
7	**श्री अजयसिंह यादव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कसरावद टेलिफोन नम्बर नि0–	**आरक्षी केन्द्र बलकवाडा**	1. आरक्षी केन्द्र **बलकवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **बलकवाडा** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **बलकवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. आरक्षी केन्द्र **बलकवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
8	**श्रीमती ज्योत्सना आर्य** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी भीकनगांव एवं न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय भीकनगांव टेलीफोन नम्बर नि	**1. आरक्षी केन्द्र भीकनगांव,** **2. ग्राम न्यायालय अधि0 2008** **3. गोगांवा, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)**	1. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव, गोगांवा, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम) की सीमा क्षेत्र से** उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. राजस्व तहसील **भीकनगाव** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्वभूत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 3. (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय) संपूर्ण थाना क्षेत्र से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित आपराधिक कार्यवाहिया जो माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के अदेशानुसार। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना । 5. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य

			न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव, गोगांवा, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण। 7. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव, गोगांवा, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण। 8. थाना **भीकनगांव, चैनपुर, गोगावां, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** के क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण।
9	**श्री फरहान मसूद कुरैशी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी भीकनगांव	**1. आरक्षी केन्द्र चैनपुर**	1. आरक्षी केन्द्र **चैनपुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **चैनपुर** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **चैनपुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. आरक्षी केन्द्र **चैनपुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
10	**श्रीमती चारूलता दांगी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद टेलीफोन नम्बर मोबा– नि–07280233666 का–07280234167	**आरक्षी केन्द्र सनावद**	1. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना । 3. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण । 6. राजस्व तहसील **सनावद** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्वभूत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। ***(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार***

			7. आरक्षी केन्द्र सनावद के क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों की निश्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण।
11	**श्री महेन्द्र सैनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद टेलीफोन नम्बर मोबा– नि–07280233666 का–07280234167	**आरक्षी केन्द्र बेडिया**	1. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना । 3. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण । 6. आरक्षी केन्द्र बेडिया के क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों की निश्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण।
12	**श्री सुधीरसिंह निगवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह टेलीफोन नम्बर मोबा– नि– का–	**आरक्षी केन्द्र बडवाह**	1. आरक्षी केन्द्र **बडवाह** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **बडवाह** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्र **बडवाह** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **बडवाह** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. राजस्व तहसील **बडवाह** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्वभूत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार**
13	**श्री जितेन्द्रसिंह परमार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह टेलीफोन नम्बर	**आरक्षी केन्द्र बलवाडा**	1. आरक्षी केन्द्र **बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **बलवाडा** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का

	मोबा– नि– का–		क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्र **बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. तहसील **बडवाह** के रिक्त न्यायालयों की निश्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण।
14	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर एवं न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय मण्डलेश्वर टेलीफोन नम्बर	**1. आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर** **2. ग्राम न्यायालय अधि0 2008**	1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों जिनमें विचारण की अधिकारिता ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर को है एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आब0 विभाग से संबंधित प्रकरण। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना । 4. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण । 5. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण । 6. थाना **मण्डलेश्वर** के क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों की निश्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण। **7**. राजस्व तहसील **महेश्वर (आरक्षी केन्द्र महेश्वर एवं करही की सीमाओ को छोडकर)** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्वभूत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार**
15	**श्री पीयूष भावे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, महेश्वर टेलीफोन नम्बर	**आरक्षी केन्द्र महेश्वर व करही**	1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों जिनमें विचारण की अधिकारिता ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर को है, एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **महेश्वर व करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त

	मोबा–		आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर व करही** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के धारा 34 (2), 49 ए के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. राजस्व तहसील **महेश्वर (आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर की सीमाओ को छोडकर)** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्वभूत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 4. थाना **महेश्वर एवं करही** के क्षैत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन विभाग से संबंधित सम्पूर्ण आपराधिक प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना। 6. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर व करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 7. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर व करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 8. थाना **महेश्वर एवं करही** के क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों की निश्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण।

<u>सामान्य आदेशः–</u>

1. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. इस आदेश निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
4. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तहसील मंडलेश्वर, भीकनगांव के ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य है, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष ही प्रस्तुत किये जावेंगे।
5. एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट पदस्थ होने पर उस स्थान पर आपराधिक प्रकरणों का केन्द्रीय पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संधारित पंजी में किया जावेगा।
6. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों मे समान रूप से दोपहर 3 से 5 बजे तक आवश्यक रिमाण्ड डयुटी करेंगे।

<u>नोट– किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में निम्नलिखित कंडिका 7,8,9 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।</u>

7. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन, सुपुर्दगीनामा एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रकिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता है।
8. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित आना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहॉ से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा ऐसे प्रकरण में

संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरात उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।

9. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगें, जो समरी प्रकिया के तहत् विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हो, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।

10 संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं सी0जे0एम0 से निर्देश प्राप्त करके अपनी अधिकारिता में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

11 मोटर वाहन दुघर्टना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

12 वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों के जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट क समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। धारा 138 एन0आई0एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

13 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उर्पापण कार्यवाही के दौरान उर्पापण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्धेमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा 306, 304–बी भादवि के प्रकरणों में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे।

14 जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

15 विचाराधीन बण्डल फाइल(रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे0एम0एफ0सी0 के न्यायालय में भेजे जावे।

16 आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

17 संबंधित मजिस्ट्रेट अपने अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त अंतिम प्रतिवेदन खात्मा स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

18 न्यायिक स्थापना जिला मण्डलेश्वर प0निमाड खरगोन जिले के सभी थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अंतिम प्रतिवेदन (Final Report) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये जायेंगे, जिन्हें संबंधित थाने से उद्भुत प्रकरणों के विचारण का अधिकार है। लेकिन न्यायिक स्थापना जिला मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड खरगान जिले के किसी भी थाना क्षेत्र के प्रकरण समाप्ति रिपोर्ट (Expunge Report) (जिसमें पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध बनना न पाया गया हो) का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा किया जायेगा।

19 प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग–पत्र एव विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म0प्र0 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय का प्राप्त है।

20 प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधी । महोदय, को सी0जे0एम0 के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

21 दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची कमांक 1 अनुसार किया जावेगा ।

22 धारा–340 द0प्र0सं0 के न्यायिक जिला मण्डलेश्वर के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र सी.जे.एम. के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।

23 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची कमांक 2 के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

(आशीष दवन्डे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड

स्थान – खरगोन
दिनांक – /06/2020
संलग्न – अनुसूची कमांक 1 एवं 2

अनुमोदित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर
2.7.2020

न्यायालयः–आशीष दवन्डे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, प0नि0

--// अनुसूची कमांक 1 //--

धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों के अभिलेखों का कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निम्नानुसार संपादित किया जावेगा।

क	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम
1	बिस्टान मेनगाव एवं भगवानपुरा (केवल महिलाओ के विरूद्व कारित आपराधिक मामले)	श्रीमती आरती ढिंगरा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	सुश्री प्रियंका चौहान न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री अभिषेक त्रिपाठी न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
2	उन, खरगोन, बरूड एवं गोगावा (केवल महिलाओ के विरूद्व कारित आपराधिक मामले)	सुश्री प्रियंका चौहान न्या.मजि.प्र.श्रे.खरगोन	श्री अभिषेक त्रिपाठी न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती आरती ढिंगरा न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन
3	खरगोन, मेनगाव, उन	श्री अभिषेक त्रिपाठी न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	सुश्री प्रियंका चौहान न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती आरती ढिंगरा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
4	भगवानपुरा, बरूड बिस्टान व गोगावा	श्री राजुसिंह डावर न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्रीमती आरती ढिंगरा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री आशिष दवन्डे न्या.मजि.प्र.श्रे.खरगोन
5	भीकनगांव	श्री फरहान मसूद कुरैशी न्या.मजि.प्र.श्रे. भीकनगाव	श्री राजुसिंह डावर न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री अभिषेक त्रिपाठी न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
6	चैनपुर	श्रीमती ज्योत्सना आर्य न्या0मजि.प्र0श्रे0 भीकनगांव	श्री अभिषेक त्रिपाठी न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री राजुसिंह डावर न्या0मजि. प्र0श्रे0 खरगोन
7	कसरावद	श्री अजयसिंह यदव न्या0मजि.प्र0श्रे0 कसरावद	श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री पीयूष भावे, न्या0मजि0 प्र0श्रे0 महेश्वर
8	बलकवाडा	श्री संतोष सैनी न्या0मजि.प्र0श्रे0 कसरावद	श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री पीयूष भावे, न्या0मजि0 प्र0श्रे0 महेश्वर
9	मण्डलेश्वर	श्री पीयूष भावे न्या0मजि0 प्र0श्रे0 महेश्वर	श्री संतोष सेनी न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी कसरावद	श्री अजयसिंह यादव न्या0मजि. प्र0श्रे0 कसरावद
10	करही	श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री संतोष सेनी न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी कसरावद	श्री अजयसिंह यादव न्या0मजि. प्र0श्रे0 कसरावद
11	महेश्वर	श्रीमती संगीता डावर मौर्य	श्री संतोष सैनी न्यायिक मजि0 प्रथम	श्री अजयसिंह यादव न्या0मजि. प्र0श्रे0 कसरावद

		न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्रेणी कसरावद	
12	सनावद	श्री महेन्द्र सैनी न्या.मजि.प्र.श्रे.सनावद	श्री जितेन्द्रसिंह परमार न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	श्री सुधीरसिंह निगवाल न्या0मजि0प्र0श्रे0 बडवाह
13	बैडिया	श्रीमती चारूलता दांगी न्या.मजि.प्र.श्रे.सनावद	श्री सुधीरसिंह निगवाल न्या0मजि0प्र0श्रे0 बडवाह	श्री जितेन्द्रसिंह परमार न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह
14	बडवाह	श्री जितेन्द्रसिंह परमार न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	श्रीमती चारूलता दांगी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	श्री महेन्द्र सैनी न्या.मजि.प्र.श्रे.सनावद
15	बलवाडा	श्री सुधीरसिंह निगवाल न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	श्रीमती चारूलता दांगी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	श्री महेन्द्र सैनी न्या.मजि.प्र.श्रे.सनावद
16	अजाक थाना खरगोन	श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री पीयूष भावे न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर	श्री संतोष सैनी न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी कसरावद

नोटः—1. पाक्सौ एक्ट के अंतर्गत मामले में भी उपरोक्तानुसार कथन लिये जावे।

2. उपरोक्त अनुसार तीनों प्रभारी के अवकाश पर रहने पर प्रभार अनुसूची कमांक 2 के अनुसार लागू होंगी।

स्थान — खरगोन

दिनांक — /06/2020

(आशीष दवन्डे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड

न्यायालयः– आशीष दवन्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश

--// अनुसूची कमांक 2 //--

मैं आशीष दवन्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश खरगोन जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश/पद रिक्त(स्थानातरण होने के आलोक मे)अथवा अनुपस्थिति की दशा मे उनके न्यायालयों के आवश्यक आपराधिक कार्यभार के संबंध में **वर्ष– 2020** हेतु निम्नानुसार कार्य व्यवस्था के लिये आदेशित करता हूँ

क	न्यायालय का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/पदरिक्त/अनुपस्थिति में कार्य करने वाले प्रभारी न्यायालयों के नाम		
1	**श्री आशीष दवन्डे** सी.जे.एम. खरगोन	**श्रीमती आरती ढिंगरा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**सुश्री प्रियंका चौहान** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
2	**श्रीमती आरती ढिंगरा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**सुश्री प्रियंका चौहान,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी **खरगोन**	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राजु सिंह डावर** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी **खरगोन**
3	**सुश्री प्रियंका चौहान,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राजु सिंह डावर** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी **खरगोन**	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती आरती ढिंगरा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
4	**श्री राजु सिंह डावर** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी **खरगोन**	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**सुश्री प्रियंका चौहान,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती आरती ढिंगरा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
5	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**सुश्री प्रियंका चौहान,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती आरती ढिंगरा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राजु सिंह डावर** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी **खरगोन**
6	**श्रीमती ज्योत्सा आर्य** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगांव	**श्री फरहान मसूद कुरैशी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगाव	**सुश्री प्रियंका चौहान** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
7	**श्री फरहान मसूद कुरैशी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगाव	**श्रीमती ज्योत्सा आर्य** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगाव	**सुश्री प्रियंका चौहान** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री अभिषेक त्रिपाठी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
8	**श्री संतोष सैनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री अजयसिंह यादव** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री पीयूष भावे** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर
9	**श्री पीयूष भावे** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री अजयसिंह यादव** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री संतोष सैनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद
10	**श्री अजयसिंह यादव** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री संतोष सैनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री पीयुष भावे** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर
11	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री पीयुष भावे** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्री संतोष सैनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री अजयसिंह यादव** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कसरावद
12	**श्रीमती चारूलता दांगी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्री महेन्द्र सैनी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्री सुधीरसिंह निगवाल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्री जितेन्द्रसिंह परमार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह

13	**श्री महेन्द्र सैनी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्रीमती चारूलता दांगी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्री सुधीरसिंह निगवाल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्री जितेन्द्रसिंह परमार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह
14	**श्री सुधीरसिंह निगवाल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्री जितेन्द्रसिंह परमार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्रीमती चारूलता दांगी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्री महेन्द्र सैनी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद
15	**श्री जितेन्द्रसिंह परमार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्री सुधीरसिंह निगवाल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्री महेन्द्र सैनी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्रीमती चारूलता दांगी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद
16	**सुश्री मयुरी गुप्ता** प्रशिक्षु न्यायिक मजि. महेश्वर	**सुश्री मिनाक्षी दंदेलिया** प्रशिक्षु न्यायिक मजि. महेश्वर	**श्री पीयुष भावे** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर
17	**सुश्री मिनाक्षी दंदेलिया** प्रशिक्षु न्यायिक मजि. महेश्वर	**सुश्री मयुरी गुप्ता** प्रशिक्षु न्यायिक मजि. महेश्वर	**श्री पीयुष भावे** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर

स्थान – खरगोन
दिनाक – /06/2020

(आशीष दवन्डे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड